उपाणित प्रति राजकार्य प्रयोजनार्थ दि: शुल्क

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 50/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00076

1. गंगाराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी हाल सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती केसर पत्नि श्री बृज लाल जाति सुथार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. चेतराम वल्द दलूराम जाति सुथार निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बृजमोहन पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजस जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलान्ट्स

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये भू–धारक प्रतिनिधि तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. ज्ञान सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सत्यनारायण पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी 10 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. भागीरथ पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्नेहलता पुत्री श्री बृजमोहन जाति सुथार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. रूखसाना पत्नि श्री रजाकअली जाति मुसलमान कायमखानी निवासी हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

मिलान किया

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	अभिभाषक अपीलांट संख्या 1 ता 5
	श्री विजय कुमार पारीक	अभिभाषक अपीलांट संख्या 1
	श्रीमती मधु कौशिक	अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 07.06.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 02.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 444/4 की 6.325 हैक्टेयर भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट संख्या 1 के पिता स्व. ख्यालीराम के नाम टी.सी. आवंटित थी। ख्यालीराम की मृत्यु दिनांक 16.03.1994 को हो जाने के बाद उक्त विवादित भूमि का उनके जायज वारिसान के नाम टी.सी. आवंटन नही किया जाकर तहसीलदार सूतरगढ़ ने दिनांक 12.06.2009 को अपीलांट को सम्वत् 2035 से आरजी काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 02.05.2013 को तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 12.06.2009 को निरस्त कर विवादित भूमि को अराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश दिनांक 02.05.2013 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 444/4 में 6.325 हैक्ट. भूमि अपीलांट संख्या 1 के पिता ख्यालीराम पुत्र नन्दराम को सन् 1967–68 में टी.सी. आवंटन की गई थी। ख्यालीराम की मृत्यु दिनांक 16.03.1994 को होने के पश्चात् ख्यालीराम के अधिकार जो गैर खातेदारी के अधिकार थे, वे ख्यालीराम के वारिसान को प्राप्त हो गई थी। सम्वत् 2061 तक वादग्रस्त भूमि का नवीनीकरण करवाया जाता रहा है। उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक 2 के अन्तर्गत अपीलांट संख्या 1 को तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 12.06.2009 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भी हो गया। तत्पश्चात् अपीलांट संख्या 1 ने अपनी उक्त 6.325 हैक्ट. भूमि में से 3.162 हैक्ट. भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दी। शेष भूमि अपीलांट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 व अपीलांट संख्या 2 ता 5 को विक्रय कर दी। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम भूमि का इंतकाल संख्या 377 दिनांक

मिलान किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

22.06.2009 को तस्दीक होकर इसका जमाबंदी में अंकन हो चुका था। इसप्रकार अपीलांट संख्या 1 के अलावा शेष अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 सद्भावी क्रेता है एवं वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई थी। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था, जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र से बाहर स्थित है। काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार टीनेन्ट में उसके वारिसान को भी टीनेन्ट माना है। इन परिस्थितियों में आदेश जैर अपील निरस्त करने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने इस संबंध में निम्न रूलिंग्स का हवाला दिया हैं–

1. RRD 2000 Page 547(A) High Court
2. RRD 2003 Page 197
3. RRD 2008 Page 125
4. RRD 2016 Page 163
5. RRD 1989 Page 667 Camp Jaipur

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक
कार्यालय संभागीय
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट संख्या 01 श्री विजय कुमार पारीक ने बहस मिलान किया के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जारी खातेदारी सनद पूर्ण जांच कर प्रदान की गई थी। टीनेन्सी एक्ट लागू हो चुका है, इसलिए अपील मेन्टेनेबल नही है। सक्षम न्यायालय में दावा ही पेश हो सकता था। खातेदारी मिलने के पश्चात् ना ही अपील हो सकती है और ना ही खातेदारी खारिज की जा सकती है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने सक्षम न्यायालय में मियाद अपील पेश की थी। धारा –5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी का कारण अस्वीकार्य है। आवंटन के विरूद्ध अपील का प्रावधान है किन्तु खातेदारी के विरूद्ध अपील का नहीं है। अपील अधिनस्थ न्यायालय में मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। अधिनस्थ न्यायालय में एल आर एक्ट की धारा 75 में अपील पेश की, जिसे सुनने का अधिकार नहीं था। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने इस संबंध में निम्न रूलिंग्स का हवाला दिया हैं–

1. RRD 2008 Page 755
2. RRD 1986 Page 137
3. RRD 2018 Page 479
4. RRD 2004 Page 464
5. RRD 2003 Page 237
6. RRD 1987 Page 179

4– विद्वान राजकीय अभिभाषक मोहम्मद इम्तियाज अली ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.06.2009 जिसके द्वारा खातेदारी प्रदान की गई, वह नियम विरूद्ध जाकर की गई है। वादग्रस्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र की परिधि के अन्दर है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2013 क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2013 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ अपने निर्णय दिनांक 12.06.2009 के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में चाराजोही कर सकते है।

मिलान किया

6– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रसन्नजित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर